

Citizenship (नागरिकता)

Join SelectionWay GS Channel

Join SelectionWay GS Channel

Shubham Gupta Sir

नागरिकता



सामान्य परिचय

भाग 02 • अनुच्छेद 5 से 11 • ब्रिटेन से एकल नागरिकता (Single Citizenship)



नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच का वह कानूनी और राजनीतिक संबंध है, जिसके तहत व्यक्ति को उस देश की पूर्ण सदस्यता, संरक्षण एवं अधिकार प्राप्त होते हैं।

निवासियों की चार श्रेणियाँ



नागरिक
(Citizens)



विदेशी (Foreigners)
मित्र राष्ट्र के और शत्रु देश



शरणार्थी (Refugee)
स्थायी या अस्थायी



अवैध प्रवासी (Illegal Immigrants)
बिना वैध दस्तावेजों के देश में



भाग 02 • अनुच्छेद 5 से 11



नागरिकता अधिनियम, 1955



नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

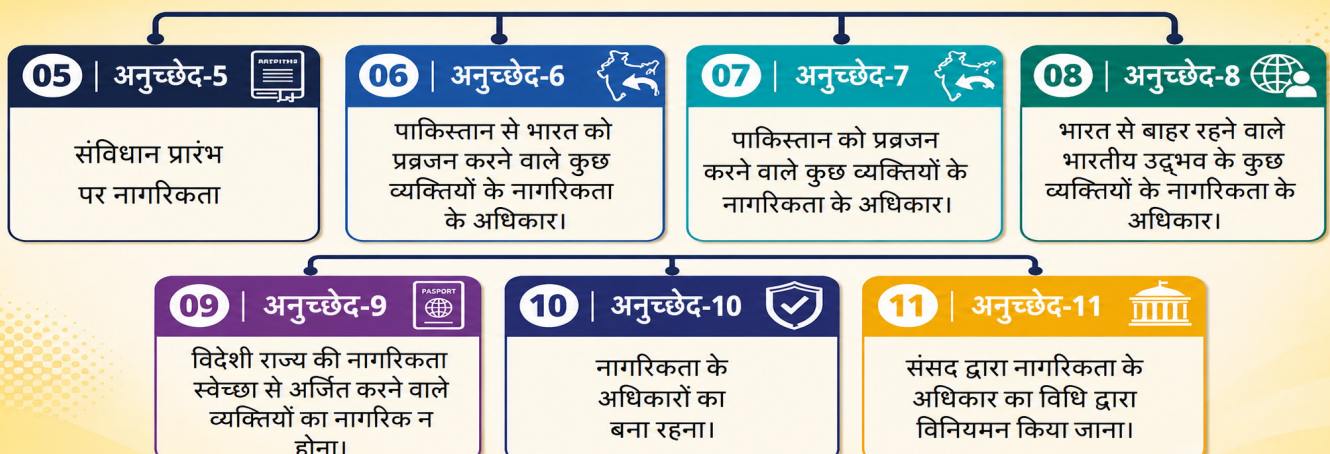


नागरिकता (संशोधन) • 1986 • 1992 • 2003 (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) • 2005 • 2015 • 2019



National Register of Citizens (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)

नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद



अनुच्छेद 05 → संविधान प्रारंभ पर नागरिकता

- 26 जनवरी 1950 को वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास (Domicile) है और जो निम्नलिखित तीन में से कम से कम कोई एक शर्त पूरी करता हो:
- 1. उसका जन्म भारत के राज्यक्षेत्र में हुआ हो।
- 2. उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत के राज्यक्षेत्र में हुआ हो।
- 3. वह संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत के राज्यक्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो।

अनुच्छेद 06 → पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता

- यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों की बात करता है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान वाले क्षेत्रों से भारत आ गए थे।
- निम्न शर्तों को पूर्ण करने की अवस्था में ही भारत का नागरिक माना जाएगा:
- 1. व्यक्ति का स्वयं, या उसके माता-पिता, या दादा-दादी (पितामह-पितामही) या नाना-नानी (मातामह-मातामही) में से किसी एक का जन्म 'अविभाजित भारत' में हुआ हो।
- 2. प्रवासियों को 19 जुलाई 1948 (परमिट प्रणाली लागू) के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया:
 - ◆ 19 जुलाई 1948 से पहले आने वाले → स्वतः ही भारत का नागरिक
 - ◆ 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद → नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक था। पंजीकरण के लिए यह अनिवार्य शर्त थी कि आवेदन करने से ठीक पहले वे कम से कम 6 महीने तक भारत में रह चुके हों।

अनुच्छेद 07 → पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

- अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, तो उसे सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।
- In short = पाकिस्तान गया + बाद में 'स्थायी पुनर्वास परमिट' लेकर भारत वापस आया → नागरिकता

अनुच्छेद 08 → भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

- जो व्यक्ति विदेश में रह रहा है, लेकिन उसका संबंध भारत से है, उसे कुछ शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिक माना जा सकता था।:
- ◆ उस व्यक्ति का स्वयं, या उसके माता-पिता, या दादा-दादी (पितामह-पितामही) या नाना-नानी (मातामह-मातामही) में से किसी एक का जन्म भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत परिभाषित 'अविभाजित भारत' में हुआ हो।
- ◆ वह व्यक्ति भारत और पाकिस्तान के अलावा किसी अन्य देश में सामान्य रूप से रह रहा हो।
- ◆ उसने उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में भारत के नागरिक के रूप में अपना पंजीकरण करवा लिया हो।
- यह पंजीकरण संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) से पहले या उसके बाद, कभी भी किया जा सकता था।
- अनुच्छेद-8 = विदेश में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति + भारतीय दूतावास में पंजीकरण = नागरिकता।

अनुच्छेद 09 → विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।

- यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।
- भारत में 'एकल नागरिकता' (Single Citizenship) के सिद्धांत को स्थापित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है

अनुच्छेद 10 → नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।

- अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6, 7 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक माना गया है, तो वह आगे भी भारत का नागरिक रहेगा।
- ◆ लेकिन संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से जुड़े नियम बना सकती है।
- अनुच्छेद-10 = नागरिकता जारी रहेगी, लेकिन संसद के कानूनों के अधीन।
- अनुच्छेद 10 आपकी नागरिकता की "सुरक्षा की गारंटी" है।

अनुच्छेद 11 → संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन।

- यह अनुच्छेद संसद (Parliament) को यह पूर्ण और सर्वोच्च शक्ति देता है कि वह नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर भविष्य के लिए कानून बना सकती है।
- संविधान ने राज्य विधानसभाओं (State Legislatures) को नागरिकता पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया है
- संसद नागरिकता से जुड़े इन विषयों पर कानून बना सकती है—
 - ◆ नागरिकता प्राप्त करना
 - ◆ नागरिकता समाप्त होना
 - ◆ नागरिकता छोड़ना
 - ◆ नागरिकता छिनना
 - ◆ नागरिकता से जुड़े अन्य नियम
- इसी शक्ति के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया।

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955**1. 30 दिसंबर, 1955**

- भारतीय नागरिकता प्राप्त करने (Acquisition) और उसकी समाप्ति (Termination) के नियमों को निर्धारित करता है।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

2. नागरिकता 'संघ सूची' (Union List) का विषय है।**3. नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके (Acquisition) →**

- ◆ जन्म से
- ◆ वंश द्वारा
- ◆ पंजीकरण द्वारा
- ◆ प्राकृतिककरण द्वारा
- ◆ क्षेत्र के समावेशन द्वारा

4. नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके (Termination)

- ◆ स्वैच्छिक त्याग (Renunciation)
- ◆ बर्खास्तगी (Termination)
- ◆ वंचना (Deprivation)

5. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 - CAA

- ◆ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
- ◆ इन समुदायों के लिए प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास की अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।

नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके

Termination of Citizenship

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. |  | स्वैच्छिक त्याग
(Renunciation) |
| 2. |  | बर्खास्तगी
(Termination) |
| 3. |  | वंचना
(Deprivation) |

नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके



1. जन्म से (By Birth)

भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए:

- 1 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच: जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से नागरिक माना जाएगा।
- 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद: जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद: माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी (Illegal Immigrant) न हो।



2. वंश के आधार पर (By Descent)

भारत के बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए:

- 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच: जन्म के समय पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य।
- 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद: जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य।

नोट: जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में जन्म का पंजीकरण कराना आवश्यक है।



3. पंजीकरण द्वारा (By Registration)

(अवैध प्रवासियों को छोड़कर)

- भारतीय मूल का व्यक्ति: जो आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो।
- भारतीय से विवाह: वह विदेशी व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और आवेदन से पूर्व 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो।
- नाबालिग बच्चे: जिनके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं।



4. देशीकरण द्वारा (By Naturalisation)

- कोई भी विदेशी (जो अवैध प्रवासी न हो) यदि वह आवेदन से ठीक पहले लगातार 12 महीने भारत में रहा हो।
- उन 12 महीनों से पूर्व के 14 वर्षों में से कम से कम 11 वर्ष उसने भारत में बिताए हों। (CAA 2019 के तहत कुछ श्रेणियों के लिए इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है)



5. क्षेत्र समावेशन द्वारा (By Incorporation of Territory)

यदि कोई नया क्षेत्र (Territory) भारत का हिस्सा बनता है, तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर यह निर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक माने जाएंगे।

नागरिकता अधिनियम के महत्वपूर्ण संशोधन (Important Amendments)

1986 का संशोधन: → जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए माता या पिता में से किसी एक के भारतीय होने की शर्त जोड़ी गई।

2003 का संशोधन: → 'अवैध प्रवासी' (Illegal Migrant) की स्पष्ट परिभाषा दी गई और राष्ट्रमंडल नागरिकता (Commonwealth Citizenship) के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

2015 का संशोधन: → PIO (Person of Indian Origin) और OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड योजनाओं का विलय कर 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डहोल्डर' (OCI Cardholder) योजना बनाई गई।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA 2019):



प्रावधान:

March 11, 2024

→ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।



छूट:

→ इन समुदायों के लिए प्राकृतिकरण (Naturalisation) द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास की अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।



विदेशियों के लिए नागरिकता

- ❖ सन् 2000 में डॉ. एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन
- ❖ 9 जनवरी → प्रवासी भारतीय दिवस (2003)

श्रेणी	विवरण
अनिवासी भारतीय(NRI)	वे भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं। वीज़ा पर विदेश में 182 दिन या उससे अधिक समय तक रहना
भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)	वे विदेशी नागरिक जिनके पूर्वज भारतीय थे।
भारत के सीमापारीय नागरिक (OCI)	वे जिन्हें भारत द्वारा विशेष दर्जा प्रदान किया गया है।

विवरण	1. NRI (अनिवासी भारतीय - Non-Resident Indian)	2. PIO (भारतीय मूल के व्यक्ति - Person of Indian Origin)	3. OCI (समुद्रपारीय नागरिकता - Overseas Citizenship of India)
नागरिकता / परिभाषा	पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक	वर्तमान में भारतीय नागरिक नहीं	यह पूर्ण नागरिकता नहीं, केवल एक दर्जा (Status) है
निवास / जारी वर्ष	वीज़ा पर विदेश में 182 दिन या उससे अधिक समय तक रहना	PIO कार्ड मुख्य रूप से 2002 में जारी	शुरुआत: 2003 समिति: एल. एम. सिंघवी समिति (गठन 2000 रिपोर्ट 2002)

संबंधित अधिनियम / विस्तार	• पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 • विदेशी अधिनियम (Foreigner Act), 1946 • पासपोर्ट अधिनियम, 1967	➤ विस्तार (2005): सभी देशों के PIO, OCI बन सकते हैं। ➤ PIO कार्ड + OCI = 9 जनवरी, 2015 ➤ अपवाद: पाकिस्तान और बांग्लादेश
---------------------------	--	---

आधार	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)	जनगणना (Census)
कानूनी आधार	नागरिकता अधिनियम, 1955	जनगणना अधिनियम, 1948
उद्देश्य	व्यक्तियों की पहचान का डेटाबेस बनाना	देश की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और समाज का समग्र (Macro) आंकड़ा जुटाना
डेटा की गोपनीयता	व्यक्ति विशेष का डेटा (Identity) सरकारी उपयोग के लिए उपलब्ध होता है	जनगणना का डेटा पूरी तरह से गोपनीय होता है, इसे किसी व्यक्ति विशेष की पहचान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते
लक्षित समूह	केवल 'सामान्य निवासियों' का विवरण	देश के सभी निवासियों का व्यापक विवरण



Available on

Flipkart

